



41

न्यायालय मान.राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर
प्र0क0 /पीबीआर-17 निगरानी &- 742-150/17

- 1- रघुवीर मुन्ना पुत्र जगन्नाथ बाढ़ई
- 2- बृजभान सिंह पुत्र हरतूम सिंह यादव
- 3- महिला नानोवाई पत्नि स्व.मुन्ना बंजारा
- 4- राजा, माधौ पुत्रगण स्व. मुंशीलाल बंजारा
- 5- नेपाल सिंह पुत्र रामबाबू यादव

सभी निवासी ग्राम बारोद तहसील आरोन

जि.सी. कारक, जिला गुना मध्य प्रदेश
आज दि. 22.2.17 को
विरुद्ध

---आवेदकगण

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर गुना
मुख्य अफसर को
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

---अनावेदकगण

G.P. Nayak
27-2-17

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 -
श्रीमान कलेक्टर गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/2012-13
स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 2-11-2016 के विरुद्ध)

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

महोदय,

ग्राम बारोद तहसील आरोन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 164
रकबा 1-254 हैक्टर (जिसे आगे वादोक्त भूमि लिखा है) का पट्टा
जगन्नाथ पुत्र फितूरीलाल कारीगर को तहसील न्यायालय के प्रकरण
क्रमांक 49 अ-19/1975-76 में पारित आदेश दिनांक
13-5-1976 से प्रदान किया गया। पट्टाग्रहीता जगन्नाथ की मृत्यु
उपरांत वादोक्त भूमि उसके पुत्र रघुवीर एवं मुन्ना के नाम विरासत में

(Signature)

रघुवीर / शासन
R. 742-PR/17 GUMMA

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के ह
<p><u>7-3-2017</u></p>	<p>आवेदकगण की ओर से सूचना उपरोक्त कोई भी उपाध्यत नहीं। तीन बार पुकार लगाई गई, फिर भी कोई उपाध्यत नहीं आता, प्रकृत अदम पैली में श्रावण किया जाता है।</p>	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)